



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2634]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2014/पौष 5, 1936

No. 2634]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3271(अ). - केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उपनियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी जोन, भोपाल में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

- | | | |
|-------|--|---------------|
| (i) | अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम जोन, भोपाल | अध्यक्ष |
| (ii) | मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी जोन, भोपाल की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| (iii) | डा. एच. डी. वाला,
13, स्वागत पार्क बंगला,
जलसा पार्टी प्लाट के पीछे,
आशोपलाव बंगले के समीप (थाल्टे),
अहमदाबाद 380059 गुजरात
(ई मेल - hdvala@gmail.com) | अशासकीय सदस्य |
| (iv) | डा. वी. एन. पाण्डे,
डी-11/5, चार इमली,
भोपाल 462016 मध्य प्रदेश
(ई मेल - vnpandey54@gmail.com) | अशासकीय सदस्य |
| (v) | श्री संजय मुखारया,
4 पारिका हाउसिंग सोसाइटी,
फेस-1, चूना भट्टी, | अशासकीय सदस्य |

भोपाल 462043 मध्य प्रदेश

(ई मेल – sanjaymukharya@gmail.com)

- (vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी जोन, भोपाल की पंक्ति के अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी सदस्य सचिव

2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के नीचे उल्लिखित अधिकारी उनके अपने-अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) मध्य प्रदेश सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मध्य प्रदेश सरकार;
- (ii) सचिव, राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश सरकार;

(ख) गुजरात सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, गुजरात सरकार;
- (ii) संयुक्त सचिव (भूमि), राजस्व विभाग, गुजरात सरकार;

(ग) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन; दादरा और नागर हवेली;
- (ii) सचिव, राजस्व विभाग, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, दादरा और नागर हवेली;
- (घ) दमन और द्वीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन:
 - (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन; दमन और द्वीव;
 - (ii) सचिव, राजस्व विभाग, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, दमन और द्वीव;

3. अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनें और षर्ते उक्त नियम के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

[फा. सं. 6-19/2014-आरओएचक्यू]

डा. एस.एस. नेगी, अति. वन महानिदेशक (एफ सी)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Regional Offices Headquarters Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2014

S.O. 3271 (E).- In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, Western Zone, Bhopal (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely:—